न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–12/2016–17

सरिता प्रसाद वगैरह बनाम मीना सिन्हा वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21/6/18	**आदेश** प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के लिए पटना सदर अंचलान्तर्गत मौजा–सन्दलपुर, थाना नं0–11, तौजी नं0 303, खाता नं0 849, खेसरा नं0 2217 की कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है प्रथम पक्ष 1. सरिता प्रसाद, पति–स्व0 सुधीर प्रसाद, 2. सरोज वर्मा, पति–डा0 हेमन्त कुमार, दोनों पता– एन0सी0 10/ए मारूती मंदिर रोड, कंकड़बाग, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना द्वितीय पक्ष 1. श्रीमती मीना सिन्हा, पति अजय कुमार सिन्हा, 2. श्रीमती कुमारी प्रभा, पति श्री दया शंकर प्रसाद सिन्हा, 3. दया शंकर प्रसाद सिन्हा, पिता स्व0 गोविन्द प्रसाद अम्बष्ट 4. कुमारी अर्चना, पुत्री श्री लाल अजय कुमार सिन्हा, 5. सीमा सिन्हा, पुत्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा, सभी पता–जयपुर भानु की कुम्हरार, पो0–पहाड़ी, थाना–अगमकुंआ, जिला–पटना। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस की गयी। विपक्षीगण के द्वारा उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दायर किया गया। प्रथम पक्ष लगातार दो तिथि 20.03.2018 एवं 12.05.2018 को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 12.05.2018 को प्रथम पक्ष को अंतिम मौका दिया गया। प्रथम पक्ष आज भी अनुपस्थित है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। **प्रथम पक्ष के आवेदन के अनुसार** (1) प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 16.01.2007 के निबंधित केवाला से पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा सन्दलपुर थाना नं0 11, खाता नं0 849, खेसरा नं0 2217 रकबा 13965 वर्गफीट (10 कट्ठा 5 धूर 4 धुरकी) की खरीद वास्तविक मालिक एवं स्वत्वधारी से की गयी। खरीदगी के पश्चात प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1644}{4}$ वर्ष 2007–08 के द्वारा उनके नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 10133 कायम की गयी।	

(2) अभी हाल में जब प्रथम पक्ष के द्वारा लगान जमा करने हेतु राजस्व कर्मचारी से सम्पर्क किया गया तो राजस्व कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षीगण के नाम से दर्ज कर दी गयी है तथा लगान लेने से इंकार कर दिया गया।

(3) अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिली भगत से द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने नाम से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी दर्ज करा ली गई है, जिसे रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि :-

(1) यह वाद काल बाधित है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में काली महतो के नाम से दर्ज है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात खतियानी रैयत के वंशज के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी कायम है।

(3) प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी कागजात एवं पावर ऑफ आटर्नी के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड की खरीद की गयी तथा अंचल कार्यालय से उसका दाखिल खारिज भी करा लिया गया। उक्त दाखिल खारिज आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय से अपील दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा रामानंद महतो के नाम से गलत ढंग से कायम जमाबंदी को निरस्त कर दिया गया। पुनः अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा सुनवाई कर विपक्षीगण के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी तथा लगान रसीद निर्गत की गयी।

(4) प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण वाद दायर नहीं किया गया।

(5) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर सब जज-III पटना सिटी के न्यायालय में टाईटिल पार्टीशन सूट 472/14 (टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 37/93 से उत्पन्न) विचाराधीन है, जिसमें इस वाद के आवेदकगण भी पक्षकार बनाये गये। उक्त टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 472/14 में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.09.2016 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है।

(6) विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न कागजात की छाया-प्रति दाखिल की गयी है।

(1) खतियान की प्रति

(2) काली महतो के वारिसान के नाम से निर्गत शुद्धि पत्र

(3) छठु महतो के नाम से निर्गत वर्ष 1994-95 की लगान रसीद

(4) हनुमान महतो के नाम से निर्गत वर्ष 1994-95 की लगान रसीद

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{466}{4}$ वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सीमा सिन्हा एवं अन्य के नाम से निर्गत शुद्धि पत्र

(6) कुमारी प्रभा सिन्हा, सीमा सिन्हा, अर्चना सिन्हा एवं मीना सिन्हा के नाम से अलग-अलग जमाबंदियों पर निर्गत वर्ष 2013–14 की लगान रसीद

(7) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 472/14 (टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 37/93 से उत्पन्न) में दिया गया आवेदन

(8) भूमि विवाद अपील सं0 07/2015 में आयुक्त पटना प्रमण्डल के द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पारित आदेश

(9) Cr.W.J.C No. 542/2016 मीना सिन्हा बनाम सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 14.09.2016 को पारित आदेश।

(10) टाईटिल सूट सं0 472/14 में दिनांक 15.09.2016 को पारित स्थगन आदेश।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं :-

(1) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1644}{4}$ वर्ष 2007–08 के द्वारा प्रथम पक्ष के नाम से विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए जमाबंदी सं0 10133 कायम की गयी, प्रथम पक्ष के द्वारा (1) श्रीमती मीना सहाय, पति सच्चिदानंद सहाय (2) श्रीमती सरिता, पति सुधीर प्रसाद (3) सरोज वर्मा, पति हेमन्त कुमार वर्मा (4) चान्दनी सिन्हा, पति रवि सिन्हा के नाम से संयुक्त रूप से निर्गत वर्ष 2007–08 की लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल की गयी है। साथ ही मीना सहाय, पति सच्चिदानंद सहाय वगैरह के नाम से दिनांक 11.03.2008 को निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र की छाया-प्रति दाखिल की गयी है।

(2) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2008–09 एवं 12/2007–08 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{466}{4}$ वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। निर्गत शुद्धि पत्र से स्पष्ट है कि मीना सहाय की जमाबंदी सं0 10133 एवं सनोज कुमार सिंह की जमाबंदी सं0 10744 को जमाबंदी से खारिज कर इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में जमाबंदी कायम की गयी है।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के आदेश के आलोक में प्रथम पक्ष की जमाबंदी को खारिज कर इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम पक्ष यदि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के उक्त आदेश से विक्षुब्ध थे तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा विपक्षीगण की जमाबंदी को अवैध बताते हुए जमाबंदी रद्द वाद दायर

किया गया, जो उचित नहीं है।

(4) विवादित भूखण्ड को लेकर सक्षम व्यवहार न्यायालय से यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया यह वाद विचारयोग्य नहीं है। विपक्षीगण की जमाबंदियाँ सक्षम आदेश से कायम है। विपक्षीगण के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद नहीं लाया गया। साथ ही प्रश्नगत भूखण्ड पर व्यवहार न्यायालय के द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है। वर्णित परिस्थितियों के अन्तर्गत आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

29/6/18 29/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी) (वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना अपर समाहर्त्ता, पटना